न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 35 / 2020

दायर दिनांक – 03.08.2021

निर्णय दिनांक – 22.09.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021 / 73

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री शैतान सिंह पुत्र श्री छोटू रावत निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 19[illegible]त ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी [illegible] सम्वत् 2073–2076 में खसरा नं 3131 / 3126, 3133 / 3127, 3135[illegible] का रकबा राजस्व म[illegible] एवं मौके के अनुसार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

22.9.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में स्थित आराजी का विवरण सम्वत् 2073–2076 के अनुसार निम्न प्रकार है–

खाता संख्या		खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
नया	पुराना		
736	1013	3131/3126	0.1530
736	1013	3133/3127	0.2424
1013	1067	3135/397	0.2550

खसरा नं. 3131/3126 का रकबा 0.1530 हैक्ट. भुमि जमाबन्दी में दर्ज है जबकि मौके एवं राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा का रकबा 1100 वर्ग मीटर है तथा खसरा नं. 3133/3127 का रकबा जमाबन्दी में 0.2424 हैक्ट. दर्ज है जबकि राजस्व मानचित्र में एवं मौके पर उक्त खसरा नं. का रकबा 0.3804 हैक्ट है इसी प्रकार खसरा नं. 3135/397 का रकबा जमाबन्दी में 0.2550 हैक्ट. जबकि राजस्व मानचित्र व मौके पर उक्त खसरे का रकबा 0.1600 हैक्टे. ही दर्ज है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/1881 दिनांक 15.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों का राजस्व रेकार्ड से अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित खसरा नं. 3131/3126 रकबा 0.1530 हैक्ट., 3133/3127 रकबा 0.2424 हैक्ट. शैतान सिंह पुत्र छोटु जाति रावत के नाम दर्ज है एवं खसरा नं. 3135/397 रकबा 0.2550 हैक्ट. शैतान सिंह पुत्र छोटु रावत का हिस्सा 317/850 अर्थात 951/2550 एवं अभय सिंह पुत्र रेंवत सिंह जाति राजपूत का हिस्सा 533/850 अर्थात 1599/2550 दर्ज है। राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बरान की रकबा बरारी करने पर पाया गया कि खसरा नं. 3131/3126 रकबा 0.1530 हैक्ट. का राजस्व मानचित्र में ए[illegible]र रकबा 0.1100 हैक्ट. है। खसरा नं. 3133/3127 रकबा 0.2424 हैक्ट. [illegible] व मौके अनुसार रकबा 0.3804 हैक्ट है। खसरा नं. 3135/397 रकबा 0.2550 हैक्ट. [illegible] मानचित्र व मौके अनुसार रकबा 0.1600 हैक्टेयर है। उक्त [illegible] अन्य खातेदार का हक अथवा हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। दुरूस्त किया जाने वाले रकबा एक ही प्रार्थी खातेदार के हक/हिस्से से किया जाना है। अतः राजस्व मानचित्र एवं मौके अनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड यथा जमाबन्दी में दर्ज किया जाना उचित है।""

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested

22.9.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में खसरा नं. 3131/3126, 3133/3127, 3135/397 तीनों खसरो का रकबा राजस्व मानचित्र एवं मौके के अनुसार दुरूस्ती करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में खसरा नं. 3131/3126, 3133/3127, 3135/397 तीनों खसरो का रकबा क्रमशः 0.1530 हैक्ट., 0.2424 हैक्ट. तथा 0.2550 हैक्ट., के स्थान पर राजस्व मानचित्र एवं मौके के अनुसार क्रमशः 0.1100 हैक्ट., 0.3804 हैक्ट तथा 0.1600 हैक्ट., दुरूस्त (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) किया जावे। पत्रावली फैराल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

22.09.2021

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested